राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बरार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बरार

प्रकरण सं.– 03/2010 अ.ना.

निर्णय दिनांक– 08 जून, 2015

अनवान

1. श्रीमति मानी पुत्री वीरमसिंह पत्नि हरिसिंह जाति रावत निवासी पीपली का बाडिया भौजपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति भोली पुत्री वीरमसिंह पत्नि गाजीसिंह जाति रावत निवासी बस्सी–कोटडा काबरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री डाउसिंह पिता वीरमसिंह जाति रावत निवासी हामेला की वेर बरार तहसील भीम
2. श्रीमति कमला पुत्री रामसिंह जाति रावत निवासी हामेला की वेर बरार तहसील भीम
3. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री रूपसिंह जाति रावत निवासी हामेला की वेर बरार तहसील भीम
4. श्रीमति सुगनी पुत्री रूपसिंह जाति रावत निवासी हामेला की वेर बरार तहसील भीम
5. सरपंच ग्राम पंचायत बरार तहसील भीम।

रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2378 दिनांक 20.12.1991 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बरार तहसील भीम, जिला राजसमन्द</u>

अपीलान्ट की अपील निम्नानुसार हैः– हम अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व 2 लगायत 4 के दादा के आधिपत्य मौजा हामेला की वेर, बरार तहसील भीम में कृषि भूमियां स्थित है जिनमें इम अपीलान्ट का कब्जा भी चला आ रहा है।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का सजरा निम्न प्रकार हैः–

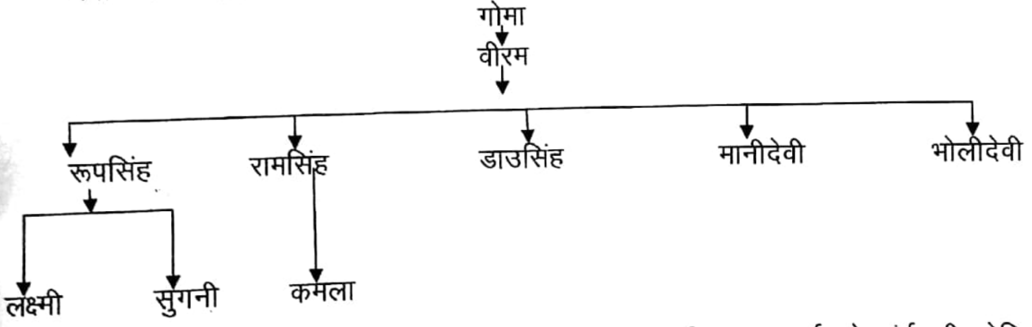

अपीलान्ट के पिता वीरमसिंह पिता गोमा की मृत्यु काफी समय पूर्व हो गंई थी लेकिन जानकारी के अभाव में उनका मृत्यु पंजीयन 25.01.1991 को कराया तब सभी रेस्पोडेन्ट ने हमें कहा की पिताजी के नाम की भूमि के नाम करवा देंगे उसी विश्वास पर हमें यह समझती रही कि उक्त कृषि भूमियो में हमारा भी नाम चला आ रहा है।

रेस्पोडेन्ट 1 से 4 ने पटवारी हल्का बरार से मिली भगत कर यह बताते हुए कि वीरम के वारिस तीनो पुत्र ही है तथा उक्त वीरम के स्वामित्व की भूमि मे अपने पक्ष में रूपसिंह, रामसिंह, डाउसिंह नामान्तकरण संख्या 2378 भरवाया एवं गिरदावर एवं सरपंच ने बिना सजरा खानदान की जांच किये तथा उक्त नामान्तकरण को बिना जांच किये रेस्पोडेन्ट 5 ने 2,3,4 के नाम स्वीकृत कर दिया। जबकि हम अपीलान्ट वीरमसिंह की पुत्रिया होकर हमारा भी समान हिस्सा है। उसी हिस्सेनुसार आज भी काबिज होकर काश्त करती कराती आ रही है।

अतः अपीलान्ट की अपील न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बरार** मे पेश हुआ। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को आपसी समझाईश से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 2378 दिनांक 20.12.1991 निरस्त किया जाता है तथा मृतक वीरमसिंह पिता गोमा रावत के वारिसानों को विधि अनुरूप सुना जाकर निर्णय पारित करे।

सहायक कलेक्टर एवं
भीम, जिला - राजसमन्द